उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 396/2017

श्री गजेन्द्र सिंह .....पुनरीक्षणवादी

बनाम

श्रीमती रीना बाल्मीकि ओर अन्य .....प्रत्यर्थी

उपस्थित: पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ साह
राज्य के लिए एजीए श्री वी एस राठौर
प्रत्यर्थी के निजी अधिवक्ता आसिफ अली

न्यायमूर्ति माननीय रविंद्र मैठाणी, (मौखिक)

इस पुनरीक्षण में निम्नलिखित को चुनौती दी गई है:

(i) न्यायालय ने निर्देश दिया कि पुनरीक्षणकर्ता 5000 रूपये के अतिरिक्त जो कि द्वारा ''दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १२५ के अन्तर्गत पूर्व से भुगतान किया जा रहा था, 15000 रूपये प्रतिमाह अन्तिरम भरण-पोषण के रूप में मामले के लंबित रहने के दौरान भुगतान किया जाएगा।

(ii) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंचम, देहरादून के न्यायालय द्वारा अपील 2016 की आपराधिक अपील संख्या 107 श्री गजेन्द्र सिंह और अन्य बनाम रीना बाल्मीकि में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 25.09.2017 इसके द्वारा, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा योजित अपील को खारिज कर दिया गया है और न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, प्रथम, देहरादून द्वारा मामले में पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 की पुष्टि की गई है।

2. संक्षेप में अभिकथित तथ्य इस प्रकार है। प्रत्यर्थी नंबर 1 ("आवेदक") ने अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत एक आवेदन दायर किया जिसमें धनीय अनुतोष सहित पुनरीक्षणकर्ता से विभिन्न अनुतोष माँगा गया जो नामते का आधार है। मामले में, अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत आवेदन दायर किया गया था।

3. आवेदक का मामला है कि उसकी और पुनरीक्षणकर्ता की शादी 06.10.2006 को हुई थी, लेकिन दहेज की अतिरिक्त मांग के संबंध में उसे प्रताड़ित किया गया। 25-12-2007 को पुनरीक्षणकर्ता ने उसे छोड़ दिया था। उन्होंने तलाक के लिए मुकदमा दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया। इसके उपरान्त आवेदक ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए वाद दायर किया, जिसे आज्ञप्त किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत

ने पुनरीक्षणकर्ता को संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत कार्यवाही में आवेदक को भुगतान करने का भी निर्देश दिया। आवेदिका का मामला यह है कि वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, जबकि पुनरीक्षणकर्ता एक शिक्षिक है जो 50,000/- प्रति माह रुपये कामाता है। निवास आदि के संबध में अन्य अनुतोष भी है। इस आवेदन पर पुनरीक्षणकर्ता ने आपत्ति प्रस्तुत की गयी।

4. आक्षेपित आदेश द्वारा, पुनरीक्षकर्ता को उपरोक्तानुसार अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। मामले में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनाक 20.06.2016 को पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपील में असफल रूप से चुनौती दी गई है। यहाँ दोनों आदेश आपेक्षित है।

5. पुनरीक्षण वादी के विद्वान अधिवक्ता ने केवल एक मुद्दा उठाया है। उनके अनुसार, अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दिए गए किसी भी भरण-पोषण को किसी अन्य राशि के साथ समायोजित किया जाना चाहिए जो किसी अन्य विधि के अन्तर्गत देय है। यह तर्क दिया गया कि चूंकि संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत कार्यवाही में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा 5,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है इसलिए अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दी गई 15,000 रुपये की राशि में से 5,000 रुपये की राशि में कटौती की जानी चाहिए।

6. विद्वान अधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 20(6) के प्रावधान के साथ-साथ रजनेश बनाम नेहा और अन्य (2021) 2 एससीसी 324 के मामले में फैसले का हवाला दिया है।।

7. अधिनियम की धारा 20 धनीय अनुतोष की बात करती है। यह निम्नानुसार है-

धनीय अनुतोष-

(1) धारा 12 की उपधारा (1) के तहत आवेदन पत्र का निपटान करते समय मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति की किसी संतान द्वारा घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप वहन की गई हानियों और उपगत किए गए खर्चो की प्रतिपूर्ति करने के लिए धनीय अनुतोष संदत्त करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देशित कर सकेगा और ऐसे अनुतोष में सम्मिलित हो सकेगा, परंतु उस तक सीमित नहीं,-

(क) अर्जनता की हानि,

(ख)चिकित्सकीय व्यय,

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण से किसी सम्पत्ति को हटाने उसको नुकसान पहुचाने या नष्ट करने से हुई हानि,

(घ) व्यथित व्यक्ति साथ ही साथ उसकी संतान, यदि कोई के लिए भरण-पोषण, इसमें शामिल है दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 125 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तहत कोई आदेश या इसके अतिरिक्त भरण-पोषण का आदेश।

(2) इस धारा के अन्तर्गत मंजूर किया गया धनीय अनुतोष पर्याप्त उचित और युक्तियुक्त और जीवन स्तर जिसका व्यक्ति व्यक्ति अभ्यस्त है के अनुरूप होगा।

(3) मजिस्ट्रेट भरण-पोषण की समुचित एकमुश्त धनराशि का संदाय करने के लिए या मासिक संदाय करने के लिए यथा प्रकरण की प्रकृति और परिस्थितियाँ अपेक्षित करें आदेशित करने की शक्ति रखेगा।

(4) मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के तहत दिए गए धनीय अनुतोष के आदेश की एक प्रति आवेदन-पत्र के पक्षकारगण को और उस पुलिस थाना के भार साधक को प्रेषित करेगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर प्रत्यर्थी निवास करता है।

(5) प्रत्यर्थी उपधारा (1) के तहत् आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर व्यथित व्यक्ति को मंजूर किये गये धनीय अनुतोष का संदाय करेगा।

(6) प्रत्यर्थी के द्वारा उपधारा (1) के तहत् आदेश के निबंधनों में संदाय करने में विफल होने पर मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोजक या देनदार को प्रत्यक्ष रूप से मजदूरियों या वेतनों के किसी भाग को या देय ऋण को या प्रत्यर्थी के जमा में प्रोदभूत को, व्यथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए या न्यायालय में निक्षेपित करने के लिए निर्देशित कर सकेगा, जिस राशि का प्रत्यर्थी द्वारा संदेय धनीय अनुतोष के प्रति समायोजन किया जा सकेगा। (जोर दिया गया)

8. वास्तव में, पुनरीक्षण कर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (6) का संदर्भ दिया है, लेकिन, अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (6) तब लागू होती है, जब ऐसा भरण-पोषण देने में विफलता होती है।

9. इस प्रस्ताव पर कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यदि विभिन्न क़ानूनों के अन्तर्गत पति द्वारा पत्नी को देय गुजारा भत्ता की किसी अन्य राशि को ध्यान में रखे बिना पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जाता है, तो इससे अराजकता पैदा हो सकती है। किसी भी कानून के अन्तर्गत पति द्वारा पत्नी को देय राशि को निश्चित रूप से भिन्न कानून के अन्तर्गत भरण-पोषण देते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

10. रजनेश (उपरोक्त) के मामले में, पैरा 128.1 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि न्यायालय ऐसी पत्नी को पहले से ही दी गई राशि के समायोजन या मुजरा पर विचार करेगा। यह पैराग्राफ इस प्रकार है-

> **पैरा 128.1 (i)** जहां किसी पक्ष द्वारा विभिन्न संविधियों के अन्तर्गत भरण-पोषण के लिए क्रमिक दावे किए जाते हैं, न्यायालय यह निर्धारित करते समय पिछली कार्यवाही

में दी गई राशि के समायोजन या मुजरा पर विचार करेगा यह निर्धारित करते समय कि क्या बाद की कार्यवाही में कोई और राशि दी जानी है।"

11. 11. प्रत्यर्थी के निजी विद्वान अधिवक्ता का निवेदन था कि इस मामले में, तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष है।
12. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत कार्यवाही में, भरण-पोषण की पूर्व राशि को समायोजित किया जाना है। किसी भी अन्य विधि के अन्तर्गत देय किसी भी राशि के अलावा, अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता है।

13. वास्तव में, यह भिन्न तरीके से वाक्यांशों का उपयोग कर रहा है। रजनेश (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पत्नी द्वारा पहले से प्राप्त गुजारा भत्ता की किसी भी राशि को समायोजित या निर्धारित किया जाना चाहिए।

14. वर्तमान मामले में यही किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता एक शिक्षक है। आवेदक को संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत कार्यवाही में वर्ष 2010 में 5,000/- रु धनराशि देने का पंचाट दिया गया। आदेश लिखने का एक अलग तरीका हो सकता था। न्यायालय आदेश पारित कर सकती थी कि पुनरीक्षणकर्ता आवेदक को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 25,000 रुपये का भुगतान करेगा, अग्रतर निर्देश के साथ कि 5,000 रुपये की राशि जो आवेदक पहले से प्राप्त कर रहा था को इस राशि में समायोजित किया जाएगा। नतीजतन, आवेदक को 20,000 रुपये मिलते। ऐसा लिखने के बजाय, निचली न्यायालय ने जो लिखा है वह यह है कि 5,000 रुपये के अलावा, जो आवेदक को पहले से ही संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत प्राप्त हो रहा था, उसे 15,000 रुपये अधिक मिलेंगे।

15. ऐसा नहीं है कि निचली न्यायालय ने भरण-पोषण की राशि जो पत्नी को सहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मिल रही थी पर विचार नहीं किया गया। केवल इसलिए कि "समायोजन शब्द नहीं लिखा गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध है। वास्तव में, आक्षेपित आदेश रजनेश (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में और अधिनियम की धारा 20 के प्रावधान के अनुसार हैं। आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता त्रुटि या अनौचित्य नहीं है। तदनुसार, पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है।

16. पुनरीक्षण को खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी)
28.11.2022